संख्या– 3877 /62–3–2010

प्रेषक,

एन.एस. रवि,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 01 दिसम्बर, 2010

विषयः– **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित मार्गों का रख–रखाव।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत हैं कि दिनॉक 27.11.2010 को लखनऊ में हुई राज्य स्तरीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, जिसमें आप स्वयं भी उपस्थित थे, में कतिपय जिलाधिकारियों द्वारा यह बात संज्ञान में लायी गयी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित मार्गों का रख–रखाव समुचित ढंग से नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण उनकी गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। पुनः दिनॉक 30.11.2010 को उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की लोक लेखा समिति की बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के आडिट प्रतिवेदन पर विभागीय साक्ष्य के दौरान भी मा0 समिति के द्वारा यह टिप्पणी की गयी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों का रख–रखाव सही ढंग से नहीं किया जा रहा है और उनमें जगह–जगह गड्ढे हो गये हैं, गिट्टी उखड़ने लगी हैं और पटरियॉ कट गयी हैं। उल्लेखनीय है कि विभागीय साक्ष्य हेतु आप भी समिति के समक्ष उपस्थित थे। मुझे बताया गया है कि यू0पी0आर0आर0डी0ए0 के पास उक्त सड़कों के रख–रखाव हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है, किन्तु सम्बन्धित पी0आई0यू0 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि अवमुक्त नहीं की जा पा रही है।

2. एस0बी0डी0 की शर्तों के अनुसार योजना के अन्तर्गत मार्ग का निर्माण पूर्ण हो जाने के बाद अगले 5 वर्ष तक सम्बन्धित ठेकेदारों के द्वारा ही सम्बन्धित सड़कों का रख–रखाव निर्धारित

मानकों के अनुरूप किया जाना है। अतः जब सम्बन्धित ठेकेदारों के साथ अनुबन्ध में बाध्यकारी प्राविधान है और इस हेतु पर्याप्त धनराशि भी उपलब्ध है तो सड़कों का रख–रखाव निर्धारित मानकों के अनुरूप न हो पाना आपत्तिजनक है तथा सम्बन्धित पी0आई0यू0 की लापरवाही व कार्य के प्रति शिथिलता का परिचायक है।

3. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों का रख–रखाव की ओर विशेष ध्यान दिया जाय और अभियान चलाकर युद्ध स्तर पर सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य बिना किसी विलम्ब के निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण किया जाय तथा कृत कार्यवाई से शासन को अवगत कराया जाये।

भवदीय,

(एन0 एस0 रवि)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 3077 (1)/62–3–2010 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू0पी0आर0आर0डी0ए0, जवाहर भवन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वेब मास्टर, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग–3 को विभागीय वेबसाइट पर रखने हेतु।

आज्ञा से,
1.12.2010

(एन0 एस0 रवि)
प्रमुख सचिव।